

न्यायालय : आशीष प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.)

::: संशोधित कार्य विभाजन आदेश दिनांक 09.02.2021 से प्रभावशील :::

मैं आशीष प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर, प्रशासनिक कार्य व्यवस्था की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 410 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य विभाजन आदेश वर्ष-03.02.2021 में निम्नानुसार संशोधन समाविष्ट किया जाना प्रस्तावित है:-

कार्य विभाजन पत्रक के सरल क्रमांक **8-A** एवं **9-A** के सम्मुख कॉलम नंबर 3(अ) में अंकित "एवं यातायात" शब्द विलोपित किया जाता है।

8-A	सुश्री देशना जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	3(अ) आरक्षी केंद्र- शहर कोतवाली, दलौदा एवं यातायात	2. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में अंकित आरक्षी केंद्रों से माह मार्च 2021 में उत्पन्न परिवाद पत्र।
9-A	सुश्री वैशाली पटेलिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	3(अ) आरक्षी केंद्र- शहर कोतवाली, दलौदा एवं यातायात	2. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में अंकित आरक्षी केंद्रों से माह फरवरी 2021 में उत्पन्न परिवाद पत्र।

उक्त कार्यविभाजन आदेश दिनांक 09.02.2021 से प्रभावशील रहेगा ।

(आशीष प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मंदसौर (म.प्र.)

प्रतिलिपियां :- (ईमेल-मेसेज द्वारा)

पृष्ठांकन क्रमांक 241 / 2021

मंदसौर दिनांक 09/02/2021

- 01 माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला न्यायालय, मंदसौर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 02 संबंधित न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 03 जिला अभियोजन अधिकारी, मंदसौर की ओर सूचनार्थ एवं संबंधितों को प्रेषित करने बाबत प्रेषित।
- 04 थाना प्रभारी, आरक्षी केंद्र आरक्षी केंद्र - नाहरगढ (मंदसौर तह. क्षेत्राधिकारातर्गत) की ओर पालनार्थ प्रेषित।
- 05 सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 06 प्रवर्तन लिपिक, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 07 अध्यक्ष अभिभाषक सघ, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 08 सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए./कम्प्यूटर लिपिक मंदसौर न्यायिक स्थापना की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई-मेल/मेसेज के माध्यम से संबंधितों को प्रेषित किये जाने हेतु।

(आशीष प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मंदसौर